جولائی ۲۰۰۹ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَکِتَابٌ مُبِیْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

بقیۃ اللہ



موسسۂ نور ہدایت، حسینیہ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ۔۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2008-10
P.O. Chowk, Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

July 2009





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION

Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Phone : 2252230

वर्ष-6

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd No-SSP/LW/NP-75/2008-10
P.O. Chowk. Dispatch Date: 2 & 6 of every month

अंक 1

जुलाई - 2009

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

शुआ-ए-अमल
"लखनऊ"

संरक्षक
मौलाना सै. कल्बे जवाद नक़वी साहब

सम्पादक
सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

वार्षिक - 200 रु   मिलने का पता   क़ीमत - 20 रु

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन
इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड
चौक लखनऊ - 3 (उ.प्र.) भारत। फोन न० 0522-2252230

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूर-ए-हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफा हुसैन नक़वी 'असीफ जाएसी'।

R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526

Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10

WEBSITE:
www.noorehidayat.com
www.al-ijtihaad.com

E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

ज़रे सालाना

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

जून-2009ई०

जमादिस्सानी - रजबुल मुरज्जब 1430हि०

इमाम अली अ० ने फ़रमायाः

1- अगर नमाज़ पढ़ने वाले को ये मालूम हो जाए कि ख़ुदा की क्या-क्या रहमतें उस पर नाज़िल हो रही हैं तो वह कभी सजदे से सर न उठाये।

2- नेक काम करने में देर न करो जैसे ही मौक़ा मिले फ़ौरन कर डालो।

3- वह हमारा शिया नहीं है जो ऐसे काम करे जिनसे हमने रोका हो।

4- बेहूदा और पस्त लोगों से दूर रहो क्योंकि उन्हें ख़ुदा का ख़ौफ़ नहीं होता है।

इस्लाम का पैग़ाम पिछड़ी क़ौमों के नाम

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

"तुम सबका ख़ुदा एक है।"

ये थी वह आवाज़ जिससे दुनिया की ख़ामोश फ़िज़ा एक साथ गूँज उठी उस वक़्त जब हर तरफ़ तफ़रीक़ का दौर-दौरा था।

इन्सानियत की एकता के परख़चे उड़ गये थे और आपसी बराबरी का सिस्टम इस तरह बिखरा था कि एकता का नाम और निशान भी बाक़ी न था।

भेदभाव की वजहें

दुनिया ने ख़ुदावन्दी मख़लूक़ के बीच माद्दी अस्बाब के मातहत मुख़तलिफ़ हैसियतों से ऊँच-नीच क़ायम कर रखी थी।

1- **माल और दौलत** यानी हर दौलतवाला आदमी फ़क़ीर, मुहताज और परेशान इन्सान को ज़िल्लत की नज़र से देखता था।

2- **हसब व नसब** यानी हर ऊँची ज़ात का आदमी नीच ज़ात को हक़ीर समझता था।

3- **रंग** यानी गोरे रंग वाले काले रंग को नीचा समझते थे।

इस्लाम ने दुनिया में आकर उन सभी फ़र्क़ों को मिटा दिया।

माल और दौलत

"मालदार तो बस एक ख़ुदा की ज़ात है और सब फ़क़ीर हैं" (क़ुरआन) इसलिए दौलतवाले और फ़क़ीर का फ़र्क बातिल है।

ख़ानदान और नसब

"मुख़तलिफ़ ख़ानदानों का फ़र्क़ तो सिर्फ़ पहचान के लिए है, मगर तुम में सबसे ज़्याद इज़्ज़त वाला वह है जो अपने फ़राएज़ का सबसे ज़्यादा एहसास रखे।

(क़ुरआन)

पैग़म्बरे इस्लाम[स०] ने फ़रमायाः कोई फ़ख़्र नहीं क़रशी को ग़ैरक़रशी पर और अरबी को ग़ैर अरबी पर।

रंग

रसूले इस्लाम[स०] ने ये भी एलान कर दिया कि "मैं काले और गोरे सबकी तरफ़ भेजा गया हूँ" ये रंग का फ़र्क़ कैसा, काले और गोरे सब मेरी उम्मत में दाख़िल हैं इसलिए सब बराबर हैं।

इस्लाम के उसूल और बराबरी की तालीम

सिर्फ़ इस्लाम ही दुनिया का एक वह मज़हब है जिसके उसूल और अक़ीदे ऐसे बनाये गये हैं कि जिन पर बराबरी की इमारत बनायी जा सके।

1- **तौहीद**

ख़ुदा एक है, ये पहली बुनियाद है जिस पर बराबरी का महल ऊँचा होता है। मालदार फ़क़ीर, ख़ानदानी ग़ैर ख़ानदानी, गोरे काले, दौलत वाले या पेशे वाले इस हैसियत से सब बराबर हैं कि वह एक ख़ुदा के बन्दे हैं और एक पैदा करने वाले के पैदा किये हुए हैं और इसी लिए इस्लाम ने इस चीज़ को अपने दीनी उसूलों में सबसे पहला दर्जा दिया है।

2- **अद्ल/न्याय**

दुनिया में कई तरह के फ़र्क़ नज़र आते हैं कोई आसानी में है और कोई तकलीफ़ में। कोई दौलतवाला है और कोई फ़क़ीर है, कोई ताक़तवर है और कोई कमज़ोर।

इस्लाम ये कहता है कि ये फ़र्क़ सिर्फ़ देखेने के एतेबार से है। क्योंकि ख़ुदा इन्साफ़ करने वाला है, वह किसी के साथ जानिबदारी नहीं करता उसने अगर एक को आसानी दी और दूसरे को तकलीफ़, तो जिसे तकलीफ़ दी उसे उस तकलीफ का कभी न कभी बदला देगा। इसलिए नतीजे के हिसाब से वह उस पहले वाले इन्सान के बराबर माना जायेगा।

एक को दौलत दी और एक को फ़क़ीर रखा तो वह दौलत भी आज़माने के लिए है। और ये फ़क़ीरी भी आज़माइश के लिए है जिसका नतीजा दोनों को कामयाबी और नाकामी की सूरत में उनके कामों के हिसाब से मिलेगा इसलिए नतीजे के हिसाब से दोनों बराबर हैं। इस तरह दुनिया की सख़्त व नर्म और अच्छी बुरी हैसियतों से फ़र्क़ की बुनियाद पर हरगिज़ एक शख़्स को हक़ नहीं है कि वह दूसरे को गिरी हुई निगाह से देखे और उसे ज़लील समझे।

1- **नुबुव्वत**

यानी ख़ुदा का पैग़ाम इन्सानों के नाम इन्सानों में ही से एक ऐसी हस्ती के हाथ पर उतरता है जो अमली हैसियत से बिल्कुल मुकम्मल यानी मासूम होती है जो इसको सच्चा माने वह मुस्लिम और जो न माने वह काफ़िर।

जितने लोगों ने उसके ऊपर ईमान इख़्तियार किया है सब उसकी उम्मत हैं और जितने इस्लाम के हुक़ूक़ हैं वह सब के लिए बराबर हैं।

इस बराबरी को इस तरह ज़ाहिर किया कि ''ईमान लाने वाले सब भाई हैं।'' (क़ुरआन) उनमें हरगिज़ कोई फ़र्क़ नहीं है।

4- **इमामत**

पैग़म्बर के इन्तेक़ाल के बाद उसका जानशीन भी वही होता है जो अमली हैसियत से कामिल व अक्मल यानी मासूम होने की बुनियाद पर पैग़म्बर की ज़बान से ख़ुदा की तरफ़ से नामज़द हो।

उसमें न उम्र की क़ैद है न माल व दौलत की शर्त और न ताक़त और दबदबे की ज़रूरत। उसकी इताअत करने वाले ईमान के हिसाब से सब बराबर के साथी हैं जिनमें फ़र्क़ सिर्फ़ अमल की बुनियाद पर है और किसी बुनियाद पर नहीं।

5- **मआद/क़यामत**

यानी एक दिन है जिसमें हर एक को उसके किये का बदला दिया जायेगा। हक़ीक़त में ये वह चीज़ है जिसका एहसास दुनिया की मुख़तलिफ़ ताक़तों में बराबरी पैदा करता है। एक ताक़तवर अपने से कमज़ोर को बरबाद करते हुए सिर्फ़ इसी एहसास की बुनियाद पर डरता है कि इसकी सज़ा मिलने का डर है। एक दौलत वाला इसीलिए फ़क़ीरों की ख़बर लेता है कि उसको बदले की उम्मीद है।

फिर उसके लिए साफ़ तौर पर एक क़ानून बना दिया कि ''हर इन्सान को उसका बदला दिया जायेगा जो उसने कोशिश की है'' और ये कि कोई शख़्स भी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता।

''और ये कि ज़र्रा बराबर भी इस दुनिया का अमल बेकार नहीं जाता।''

''जो एक ज़र्रा भर अच्छाई करेगा उसे देख लेगा और जो ज़र्रा भर बुराई करेगा उसे देख लेगा।''(क़ुरआन)

मज़हबी हुक्मों में बराबरी

इबादत करने की जगह

मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत करने की जगह ख़ान-ए-काबा है जिसका हज सभी मुसलमानों पर वाजिब और ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरी मस्जिदों का दर्जा है जिसमें सभी मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं।

इन सभी इबादत करने की जगहों पर मज़हबी हैसियत से किसी तरह का फ़र्क़ नहीं बनाया गया है एक बड़ा बादशाह और एक फ़क़ीर व ग़रीब दोनों एक ही

वक़्त में एक ही जैसे (बराबर) हैं।

हज के अहकाम में ये बात बहुत साफ़ है। बड़े-बड़े रेशमी क़ीमती कपड़े पहनने वाले वहाँ मजबूर हैं कि एक तहबन्द और एक चादर ओढ़ें उसी तरह हज के अहकाम पूरे करें जिस तरह एक ग़रीब और फ़क़ीर पूरे करता है।

मस्जिदों में भी इसी तरह बराबरी बनायी गयी है उनके दरवाज़े हर मुसलमान के लिए एक ही तरह से खुले हुए हैं।

नमाज़े जमाअत

जमाअत की नमाज़ के वक़्त ये बराबरी पूरी तरह सामने आती है। वहाँ बादशाह और गुलाम एक साथ होते हैं। और याद रहे कि अगर एक फ़क़ीर पहली सफ़ में है और अमीर किसी दूसरी सफ़ में तो उस अमीर का सर उस फ़क़ीर के पैरों के पास होगा।

शादी-बियाह

शादी के लिए बराबरी करने ज़रूरत है तो उसके लिए साफ़ एलान कर दिया। "हर मोमिन दूसरे मोमिन का हमसर है"। (क़ुरआन)

इस तरह शादी के लिए मुसलमानों के बीच कोई फ़र्क़ नहीं रखा गया है और हर मुसलमान मर्द की शादी हर मुसलमान औरत के साथ जायज़ क़रार दी गई है।

खाना-पीना

मुसलमानों के बीच छुआछूत को सिर्फ़ ख़त्म ही नहीं किया गया बल्कि इसके ख़िलाफ़ पूरी कोशिश की गई। और कई तरह से शौक़ दिलाया गया कि मुसलमान एक दूसरे के साथ एक जैसा सुलूक करें। यहाँ तक कहा गया कि "एक मुसलमान का झूठा दूसरे मुसलमान के लिए फ़ायदेमन्द है" इसमें हरगिज़ किसी तरह का फ़र्क़ नहीं किया गया है।

पैग़म्बरे इस्लाम[स०] की अमली तालीम

हज़रत मुहम्मद[स०] ने अपनी अमली तालीम से भी साबित कर दिया कि इस्लाम नीची क़ौमों को ऊँचा उठाने वाला है इसके लिए नीचे दी हुई मिसालें यादगार हैं।

1- **सलमान फ़ारसी[रज़ि०]**

अरब के मुल्क में ग़ैर अरब अछूत का दर्जा रखते थे। रसूल ने एक ग़ैर अरब इन्सान फ़ारस के रहने वाले सलमान[रह०] को इतनी इज़्ज़त दी कि दूसरे बड़े-बड़े क़ौम और क़बीले के ख़ानदानी सरदारी और इज़्ज़त रखने वाले लोगों को भी रश्क (जलन) पैदा होता था।

रसूल[स०] ने मुसलमान की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए यहाँ तक कह दिया था कि "सलमान हम अहलेबैत में से हैं।"

और पैग़म्बर के छटे जानशीन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़[अ०] के सामने जब सलमान[रह०] का नाम आया तो आपने फ़रमायाः "सलमाने फ़ारसी" न कहो बल्कि "सलमाने मुहम्मदी" कहो।

2- **बिलाल हबशी**

हबश के मुल्क के रहने वाले, काले रंग के इन्सान बिलाल को पैग़म्बरे इस्लाम ने अपनी मस्जिद के मोअज़्ज़िन (अज़ान देने वाले) का ओहदा दिया। तो जाहिलियत के दौर का ज़हन रखने वाले बहुत से मुसलमानों को बहुत बुरा लगा और कहा कि ये तो हुरूफ़ (अक्षर) भी साफ़ अदा नहीं करते। शीन को सीन कहते हैं। तो पैग़म्बरे इस्लाम ने इन लोगों को ये कहकर ख़ामोश कर दिया कि "बिलाल का 'सीन' ख़ुदा के नज़दीक 'शीन' का दर्जा रखता है"।

शादी-बियाह की अमली मिसाल

मिक़दाद बिन अस्वद दूसरी क़ौम के आदमी थे। ग़रीब और परेशान थे। मुसलमानों में कोई अपनी लड़की देने पर तैयार नहीं होता था। रिसालत मआब[स०] ने ख़ुद अपनी चचाज़ाद बहन ज़बीआ बिन्ते हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का अक़्द इनके साथ पढ़ा दिया और इसकी अमली मिसाल हमेशा के लिए क़ायम कर दी।

ज़ैद बिन हारसा भी ख़रीदे हुए ग़ुलाम थे जिनके साथ हज़रत[स०] ने अपनी फूफ़ीज़ाद बहन ज़ैनब बिन्ते जहश का निकाह पढ़ा।

ताजिरों की इज़्ज़त

दुनिया में सरमायेदारी और तिजारत का भी फ़र्क़

बना दिया गया और तिजारत करने वालों को नीची निगाह से देखा जाने लगा।

पैग़म्बरे इस्लाम[स॰] ने ख़ुद बिज़नेस करके नुबुव्वत का आग़ाज़ बिज़नेस से क़रार दिया और दुनिया में बिज़नेस की इज़्ज़त को क़ायम किया और उनके सबसे बड़े शार्गिद और पहले जानशीन, इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े पेशवा अली बिन अबी तालिब[अ॰] ने बाग़ों में पानी डालकर और मीसमे तम्मार की दुकान पर बैठकर छोहारे बेचे।

जूता सिलना

दुनिया की तारीख़ में ये मिसाल बिल्कुल अलग है कि रसूल[स॰] का चचाज़ाद भाई उनका दामाद, उनका वलीअहद और उनका जानशीन मस्जिद के एक कोने में बैठा रसूल[स॰] की जूती हाथ में लिये सिल रहा है।

दुनिया को सबक़ दे दिया इन्सान की इज़्ज़त पर इस तरह काम करने से कोई आँच नहीं आती और किसी को सिर्फ़ इसलिए ज़िल्लत की नज़र से नहीं देखा जा सकता कि वह जूते सिलने वाला है और जूते बनाता है।

यह भी याद रखने के क़ाबिल है कि अली[अ॰] उस वक़्त भी जब बादशाह तस्लीम किये जा चुके थे और हेजाज़ व इराक़ और ईरान वग़ैरा पर हुकूमत कर रहे थे और इसे कोई अपनी बेइज़्ज़ती की बात नहीं समझते थे।

अली[अ॰] और क़म्बर

इस्लामी बराबरी देखना हो तो ज़रा अली[अ॰] का तरीक़ा अपने ग़ुलाम क़म्बर के साथ देखो। बाज़ार में क़म्बर के साथ जाते हैं। दो कुर्ते ख़रीदते हैं एक सात दिरहम का और एक पाँच दिरहम का। सात दिरहम वाला क़म्बर को देते हैं, पाँच दिरहम वाला ख़ुद पहनते हैं।

क़म्बर कहते हैंः मौला ये क़ीमती कुर्ता आप पहनिये।

फ़रमायाः नहीं क़म्बर, तुम कमउम्र हो वह कुर्ता तुम्हारे लिये अच्छा है मैं यही पहन लूँगा जो पाँच दिरहम वाला है।

हज़रत फ़ातिमा[स॰] और फ़िज़्ज़ा

ये भी सुनो- कि पैग़म्बरे इस्लाम[स॰] की इकलौती बेटी और इस्लाम के रहनुमा अली बिन अबी तालिब[अ॰] की शरीके ज़िन्दगी फ़ातिमा ज़हरा[स॰] अपनी लौंडी फ़िज़्ज़ा के साथ क्या सुलूक करती थीं।

तुमको मालूम होना चाहिए कि घर का सारा काम एक दिन हज़रत फ़ातिमा[स॰] किया करती थीं और एक रोज़ फ़िज़्ज़ा।

इसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में मिलना मुमकिन नहीं है।

शहीदे कर्बला और ज़हरा[स॰] की कनीज़ फ़िज़्ज़ा

सुनो! सुनो! मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़िन्दगी की यादगार रखने वाले अमली रहनुमा, पैग़म्बर के नवासे अली[अ॰] व फ़ातिमा[स॰] के बेटे, हुसैन[अ॰] कर्बला के शहीद ने क्या किया?

वह जब रुख़सत के लिए ख़ेमे के दरवाज़े पर आये, सब बहनों बेटियों और सभी घर में रहने वालों को सलाम किया तो उन्होंने ख़ासकर नाम लेकर फ़िज़्ज़ा को भी सलाम किया था और ये कहा था कि

''ऐ मेरी माँ की कनीज़ आप पर सलाम हो।''

हुसैन[अ॰] और अबुज़र ग़फ़ारी के ग़ुलाम, जौन

एक मिसाल और भी सुन लो! जौन हबशी ग़ुलाम थे, रंग में काले थे और दूसरे मुल्क के रहने वाले थे।

कर्बला में हुसैन[अ॰] की नुसरत में अपनी जान दी। हुसैन[अ॰] जिस तरह अज़ीज़ों, दोस्तों की लाश के पास ख़ुद गये थे उसी तरह जौन की लाश पर भी गये। और इतना किया कि जौन का सर अपने ज़ानू पर रखा, अपना चेहरा ग़ुलाम के चेहरे पर रखा और उनके लिए भलाई की दुआ की।

इस्लाम की तारीख़ और हक़ीक़ी इस्लामी रहनुमाओं की ज़िन्दगी की सीरत ऐसी मिसालों से भरी हुई है।

याद रखो कि दुनिया का कोई मज़हब अपने उसूल और अपनी सीख के एतेबार से इस तरह बराबरी की हिमायत साबित नहीं कर सकता जिस तरह इस्लाम। यक़ीनन इस्लाम ही एक ऐसा अकेला मज़हब है जो पिछड़ी क़ौमों को बराबरी का हक़ दे सकता है और उनकी तरक़्क़ी और बड़ाई की ज़मानत लेने वाला है।

(28 सफ़र 1355[हि॰] मुताबिक़ 21 मई 1936[ई॰])



दीन को कैसा होना चाहिए?

हुज्जतुल इस्लाम वलमुस्लिमीन मौलाना सै० हसन नक़वी साहब क़िब्ला

इन्सान अपनी ज़िन्दगी के हर मामूली से मामूली हिस्से में भी इसकी फ़िक्र रखता है कि जिस मक़सद के लिए वह क़दम उठा रहा है, उसमें कामयाब रहे लेकिन कामयाबी उसी वक़्त हो सकती है जब मक़सद तक पहुँचने का रास्ता सही हो अगर रास्ते में कुछ ज़रा भी ख़राबी होगी तो मक़सद हासिल करना नामुमकिन हो जायेगा इसी लिए हर अक़्लमन्द अपनी पूरी कोशिश करके वही रास्ता चुनता है जो सबसे ज़्यादा मक़सद से क़रीब हो, जिसमें मक़सद तक पहुँचना यक़ीनी हो। कुछ लोग अपने मक़सद को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं, आख़िर क्यों? सिर्फ़ वजह ये होती है कि मक़सद तक पहुँचने का रास्ता ग़लत था, यही वजह है कि जो क़ानून रोज़ बनते हैं और बिगड़ते हैं मौजूदा ज़माने की सियासत पर नज़र करके इसका अच्छी तरह अन्दाज़ा किया जा सकता है कि आज एक क़ानून पास हुआ कल वही क़ानून बदल दिया गया, आज एक क़ानून का किसी एक शख़्स को ज़िम्मेदार बनाया गया और कल वही शख़्स नाअहल साबित हुआ ऐसा क्यों होता है? बात ये है कि कल तक जिस क़ानून को मक़सद हासिल करने के लिए भी हम फ़ायदेमन्द और मुकम्मल समझ रहे थे आज वही नुक़सान पहुँचाने वाला और अधूरा साबित हुआ फिर इसकी भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली जा सकती कि इस वक़्त जिस क़ानून को हम सही समझ रहे हैं वह फ़ायदे वाला ही रहेगा, मुमकिन है कि आगे ये भी ग़लत मालूम हो इसलिए जब भी इन्सान को अपने चुनाव की ग़लती का एहसास होता है वह फ़ौरन रास्ता बदल देता है किसी भी मुल्क में जितने भी क़ानून बनते हैं हक़ीक़त में वह एक रास्ते की हैसियत रखते हैं मक़सद असल में कभी भी क़ानून नहीं कहलाता, बल्कि उन पर नतीजे निकलते हैं जिस तरह किसी मन्ज़िल तक पहुँचने के लिए रास्ते पर चलना ज़रूरी होता है उसी तरह किसी ख़ास मक़सद तक पहुँचने के लिए किसी ख़ास क़ानून पर अमल करना होता है जैसे क़त्ल की सज़ा क़त्ल है, चोरी की सज़ा मिसाल के तौर पर दस साल क़ैद, ज़िना की सज़ा कुछ साल की क़ैद वग़ैरा ये क़ानून असल मक़सद नहीं होते, बल्कि इन क़ानूनों पर अमल करने के बाद जो मुल्क में अम्न, किरदार में अच्छाई, ज़िन्दगी में बराबरी पैदा होती है ये असली मक़सद होता है इसलिए इस मक़सद को हासिल करने के लिए जो सबसे ठीक रास्ता होता है वह इख़्तियार किया जाता है और अगर रास्ते के चुनने में ग़लती का एहसास हो गया तो फ़ौरन रास्ता बदल दिया जाता है।

ये भी यक़ीनी बात है कि जब मक़सद ऊँचा होता है उसकी अहमियत को देखते हुए ही उसकी शुरुआत की जाती है, अगर कोई बहुत ख़ास मक़सद है तो शुरुआत में भी वैसा ही ख़ास इन्तिज़ाम होगा और अगर मक़सद छोटा है तो शुरुआत भी मामूली होगी और मक़सद की अहमियत के हिसाब से शुरुआत में एहतियात रखी जायेगी। अगर हमारा असली मक़सद पूरे मुल्क का फ़ायदा है तो उसी हिसाब से उसके हासिल करने के

रास्ते, यानी शुरुआत भी अहम और बड़ी होगी, इसका ख़ास ख़याल रखा जायेगा कि कहीं शुरुआत में ही कोई ग़लती न हो जाये, क्योंकि अगर शुरुआत ग़लत हो तो मक़सद का हसिल करना नामुमकिन होगा और जब मक़सद हासिल न होगा तो ये एक की ग़लती पूरे मुल्क की तबाही बन जायेगी। अगर किसी ख़ास ज़माने से कोई मक़सद जुड़ा है तो उस के लिए शुरुआत भी वैसी ही महदूद और उस ज़माने तक के लिए होगी अगर किसी शहर को कोई मक़सद जुड़ा है तो उसकी वैसी शुरुआत की जायेगी अगर पूरी क़ौम पर किसी मक़सद का हासिल करना टिका हुआ है तो उसके लिए उसी हिसाब से शुरुआत होगी, अगर पूरी दुनिया से कोई मक़सद जुड़ा हो तो वैसी ही शुरुआत होगी। जैसे-जैसे मक़सद होंगे उसी तरह शुरुआत होगी और जैसे बड़े मक़सद होंगे उसी हिसाब से शुरु करने में एहतियात की जायेगी अगर शुरु में ग़लती से बस किसी एक के मक़सद को नुक़सान पहुँचा है तो किस हद तक एहतियात की जायेगी और अगर जमाअत के फ़ायदे को नुक़सान पहुँचा है तो उससे ज़्यादा एहतियात की जायेगी और अगर पूरे शहर के फ़ायदे को ठेस लगती है तो उसमें उससे ज़्यादा एहतियात चाहिए और अगर पूरी क़ौम को चोट लगती है तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और अगर पूरी इन्सानियत को नुक़सान होता है तो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है मालूम हुआ कि मक़सद के एतेबार से ही शुरुआत की जायेगी और शुरु में एहतियात रखी जायेगी। ये भी हक़ीक़त अपनी जगह सही है कि जितना बड़ा मक़सद होगा उतनी ही शुरु करने में ग़लतियाँ होंगी इसलिए अगर मक़सद महदूद रहे तो शुरुआत भी महदूद होगी इसलिए ग़लती का इमकान कम होगा और अगर मक़सद बहुत बड़ा है तो शुरुआत भी बड़ी ही होगी जिसके बाद ग़लती का इमकान भी ज़्यादा होगा।

अब ज़रा ग़ौर कीजिये कि वह इन्सान जो लोगों के लिए कोई क़ानून बनाते हैं और उसमें ग़लतियाँ करते हैं, जमाअत के लिए उसूल तैयार करते हैं और ग़लतियाँ करते हैं, शहरों के लिए रास्ते तैय करते हैं और धोके खाते हैं, सूबों के लिए क़ानून बनाते हैं और ठोकरें खाते हैं मुल्कों के लिए उसूल बनाते हैं और नाकाम होते हैं यानी महदूद मक़सदों के लिए महदूद जगह बनाते हैं और फिर ग़लतियाँ करते हैं तो भला वह उन ग़ैर महदूद मक़सदों के लिए जो पूरी इन्सानियत के लिए हैं और उस वक़्त से जब से इन्सानियत का वजूद हुआ है और उस वक़्त तक जब तक कि ये लफ़्ज़ ज़िन्दा रहेगा क़ानून बनायें और ग़लती न करें? नामुमकिन है। अब तक देखने में आया है कि ये ग़लती करेंगे और ज़रूर करेंगे और फिर इनकी एक छोटी सी ग़लती भी पूरी इन्सानियत के लिए तबाही की वजह बन जायेगी ग़लती किसी एक या कई लोगों की होगी लेकिन पूरी इन्सानियत पर इस ग़लती का असर पड़ेगा।

इसलिए वह इन्सान जो अपनी ज़िन्दगी के छोटे से छोटे हिस्से में भी ग़लती बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी पूरी ज़िन्दगी ग़लतियों के किसी गहरे और ख़तरनाक गढढे में गिरा दी जाये ये फ़ितरत की खुली हुई मुख़ालेफ़त होगी तो फिर जो कोई ऐसा क़ानून बनाये जिससे ग़लती न हो सकती हो वह इन्सान नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया ने इन्सान को क़दम-क़दम पर ठोकरें खाते बल्कि गिरते हुए देखा है इसलिए क़ानून वही बनाये जो फ़ितरत का पैदा करने वाला हो वह जब क़ानून बनायेगा तो उसमें ग़लती बिल्कुल नहीं होगी उसका बनाया हुआ क़ानून पूरी इन्सानियत के लिए होगा इसीलिए हम कहते हैं कि वह क़ानून जो माद्दी ज़िन्दगी, रूहानी ज़िन्दगी, सियासी ज़िन्दगी, तमद्दुनी ज़िन्दगी, बल्कि पूरी इन्सानियत की ज़िन्दगी के हर-हर हिस्से के लिए बनाया गया हो वह सिवाए ख़ुदा के कोई नहीं बना सकता उसी का बनाया हुआ क़ानून ग़लती से पाक होगा और मक़सद हासिल करने के लिए पूरी तरह काफ़ी होगा।

इस बयान के बाद ये शक पैदा हो सकता है कि

फिर ऐसे क़ानून पर अमल करने वाले को यक़ीनी मक़सद की मन्ज़िल तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि वह क़ानून जो एक रास्ते की तरह है, सही है, उसमें कोई ग़लती नहीं और उस रास्ते का मन्ज़िल तक पहुँचना भी यक़ीनी है फिर जो भी इस रास्ते पर चलेगा वह यक़ीनी मक़सद को पहुँचेगा। फिर क्यों अब हर शख़्स मन्ज़िल तक नहीं पहुँचता हक़ीक़त में ऐसा हर शख़्स मन्ज़िल तक इसलिए नहीं पहुँचता कि वह रास्ते में ग़लती करता है, ये ग़लती चलने वाले की है न कि रास्ते के चुनने में ग़लती है और न ऐसा है कि ये रास्ता मन्ज़िल तक न पहुँचता हो। बल्कि इस रास्ते पर चलने वाले ने कहीं पर ग़लती की, वरना मुमकिन नहीं जो मक़सद की मन्ज़िल तक न पहुँचे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि हम किसी मन्ज़िल तक जाने के लिए किसी से रास्ता पूछें और कोई हमको रास्ता बता दे बताने वाले ने सही रास्ता चुनकर बताया और वह रास्ता हमारी मन्ज़िल तक भी पहुँचता है लेकिन फिर भी कभी हम मन्ज़िल तक इसलिए नहीं पहुँचते कि हमने अपनी ज़ाती ग़लती से रास्ते को बदल दिया या हम खुद भूलकर किसी दूसरे रास्ते की तरफ चले गये किसी शख़्स के बहकाने से बहक कर दूसरी तरफ़ निकल गये या रास्ते के समझने ही में ग़लती कर गये। मन्ज़िल तक हम इन वजहों से नहीं पहुँचे इसमें न तो रास्ता बताने वाले की ग़लती है और न रास्ते की कोई ख़राबी है और न ऐसा है कि रास्ता मन्ज़िल तक न पहुँचता हो। बस इसी तरह इस हमागीर क़ानून पर अपने ख़याल से अमल करने वाला जब मक़सद तक नहीं पहुँचता तो उस शख़्स का मक़सद तक न पहुँचना दूसरे बाहरी मौक़े की बुनियाद पर है क़ानून बेदाग़ है और बताने वाले की कोई ग़लती भी नहीं।

अब सवाल ये पैदा होता है कि आख़िर ऐसे क़ानून की ज़रूरत ही क्या है क्या बग़ैर ऐसे चौमुखी क़ानून के जो हमेशा रहने वाला हो और हर मुल्क के लिए हो ज़िन्दगी कामयाब व कामरान नहीं हो सकती? हालात के बदलने से ख़यालात बदलते हैं, ज़मीनों के बदलाव से एहसासों में फ़र्क़ पैदा होता है आबो हवा के इख़्तेलाफ़, तबीअत पर असर डालते हैं ज़माने के फ़र्क़ ज़हनों में इन्क़ेलाब पैदा कर देते हैं। किसी वक़्त में इन्सान शहंशाहियत को अच्छी नज़र से देखता था, इसके बाद वह वक़्त आया कि जमहूरियत का दौर-दौरा है किसी मुल्क की सोच में ऐसे पुराने ख़याल आज भी हैं जो मुल्क वालों को पुरानी रिवायतों के जाल में जकड़े हुए हैं किसी मुल्क की सोच में इतनी ताज़गी पसन्दी है कि वह हर पुरानी चीज़ को चाहे वह जितनी ही ज़्यादा फ़ायदे की हो अपने से इस तरह अलग कर देने की कोशिश करता है जैसे कोई मुजरिम अपने से जुर्म को अलग करने के लिए नये-नये रास्ते तलाश करता है, तरह-तरह से अलग होने का इज़हार करता है हर पुरानी चीज़ को अपने ज़हन से इस तरह अलग कर देने की कोशिश करता है, जैसे वह टपकता हुआ फोड़ा या रिस्ता हुआ नासूर और इन्सानियत के दामन पर नाक़ाबिले बर्दाश्त बदनुमा दाग़ है। इसलिए ऐसे अलग-अलग मिज़ाज वाले और अलग-अलग तबीअत के इन्सानों के लिए कोई ऐसा क़ानून बना लेना जो हमेशा रहने वाला हो, जिसमें बदलाव मुमकिन न हो, कैसे ठीक हो सकता है? ये तो आज़ाद फ़िक्र को तबीअत के ख़िलाफ क़ैद करना और आज़ाद ज़मीर को अपंग बनाना और ग़ैर मुअतदिल पाबंदियों में जकड़ देना है। इन्सान से उसके फ़ितरी हुक़ूक़ का ज़बरदस्ती छीन लेना है इसलिए क्यों न वह क़ानून बनाया जाए जो ख़यालों के बदलने से बदलता रहे, जिसमें जाएज़ पाबंदियाँ और आज़ादी का क़ानून हो। अगर जमहूरियत पसन्द तबीअतें न हों तो जमहूरी उसूल हों। अगर शहंशाही पसन्द सोच हैं तो शहंशाही क़ानून हो अगर पुराने क़ानून से मुहब्बत है तो पुराने क़ानून हों। अगर नयापन पसन्द हो तो नये क़ानून हों अगर इश्तेराकी निज़ाम मक़सद हो तो इश्तेराकियत का अलम उठा दिया जाए, अगर कम्युनिज़्म की तरफ़ झुकाव है तो मज़हब मिटाया जाए, अगर मज़हब परस्ती का शौक़ हो तो मज़हब को बढ़ावा दिया जाए। बस अगर इस तरह

अमल किया जायेगा तो इन्सान पर बोझ न होगा वरना मुख़ालेफ़त का जुनून हंगामे की वजह साबित होगा और दुनिया मौत व ज़िन्दगी की कशमकश में इस तरह फंस जायेगी जिस तरह कोई ज़िन्दगी का चाहने वाला मौत के मज़बूत पंजों में जकड़ लिया जाए। इस बयान के बाद अगर ग़ौर किया जाए तो नतीजा यही निकलता है कि या तो किसी पर कोई पाबन्दी न हो और या हर शख़्स की चाहत के हिसाब से क़ानून बनाया जाए जैसे हमने एक एक साल के लिए जमहूरी क़ानून बनाया या उस वक़्त तक के लिए ये क़ानून बनाया जब तक कि जमहूरी ख़याल बाक़ी है अगर ग़ौर किया जाये तो जिन कमियों की बुनियाद पर हम ने वह हमागीर क़ानून नहीं माना था वही ख़राबियाँ अब भी बाक़ी रहती हैं इसलिए कि हम ने जमहूरी क़ानून सभी इन्सानों के लिए बनाया, तो पहले तो हमको इसकी जानकारी होना नामुमकिन है कि सारी दुनिया जमहूरी ख़याल की मालिक है अगर मान लो इसकी जानकारी हो भी जाए तो एक ऐसा आला ईजाद करना पड़ेगा जिसमें हर-हर वक़्त हर-हर शख़्स के ख़यालों की परछायी उतरी रहे और वह आला हर शख़्स के पास हो जिसकी जानकारी हर शख़्स को होती रहे जिस किसी ज़हन में जमहूरियत से नफ़रत पैदा हो, उसी लम्हे उसके लिए उसकी चाहत के हिसाब से क़ानून बनाया जाए पहले तो यही सूरत मुमकिन नहीं है, दूसरे हर मुल्क के ख़याल अलग-अलग हैं। इसलिए हर मुल्क के हिसाब से एक अलग क़ानून बनाया जाए (और जहाँ उन दो मुल्कों में इख़्तेलाफ़ का एहसास पैदा हो वहाँ जंग का होना ज़रूरी है) और मुल्क की सरज़मीन और उसके सभी रहने वाले अलग-अलग ख़याल वाले होते हैं इसलिए मुकम्मल आज़ादी देने के हामियों को हर-हर सूबे के लिये एक क़ानून बनाना चाहिए ये भी नाकाफ़ी है क्योंकि शहरों के इख़्तेलाफ़ से भी चाहतों में इख़्तेलाफ़ पैदा होते हैं इसलिए हर शहर के लिए एक क़ानून हो ये भी नाकाफ़ी है ख़ानदानों के इख़्तेलाफ़ से भी ख़यालों के इख़्तेलाफ़ होते हैं एक ख़ानदान की कुछ सोच है दूसरे की कुछ, एक ख़ानदान कुछ चाहता है दूसरा कुछ। इसलिए हर ख़ानदान के लिए एक क़ानून बनाया जाए। और फिर ये भी नाकाफ़ी होगा क्योंकि घर के बदलने से भी चाहतें बदलती हैं हमारे घर में एक चीज़ अच्छी नज़रों से देखी जाती है, दूसरे घरों में बुरी नज़र से देखी जाती है इसलिए हर घर के लिए एक अलग क़ानून होना चाहिए और फिर हर घर में भी एक क़ानून काफ़ी न होगा, क्योंकि हर घर में अलग-अलग लोग अलग-अलग चाहतें रखते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, जवान कुछ चाहते हैं, बूढ़े कुछ चाहते हैं, मर्द कुछ चाहते हैं, औरतें कुछ चाहती हैं इसलिए हर-हर मर्द के लिए, हर-हर औरत के लिए अलग क़ानून बनाये जाएं और फिर ये भी नाकाफ़ी होगा क्योंकि हर शख़्स की पूरी ज़िन्दगी में एक ही तरह के ख़याल नहीं रहते, बल्कि ख़याल बदलते रहते हैं, बचपने में कुछ, जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, इसलिए नतीजा ये निकला कि सोच की आज़ादी उस वक़्त मिल सकती है जब उसूल व क़ानून को एहसासों के धारे पर छोड़ दिया जाए। जो चाहे करे, कमज़ोर ताक़त से पिस जाए, दौलत वाला ग़रीबों का ख़ून चूस ले, मज़बूत दिमाग़ कमज़ोर दिमाग़ वालों को अपंग बना दे या दूसरे लफ़्ज़ों में इस तरह कहो कि फ़िक्र की हक़ीक़ी आज़ादी और ख़यालों की असली आज़ादी उस वक़्त हासिल हो सकती है जब सबसे अच्छी मख़लूक़ का नुक़्त-ए-इम्तियाज़ बिल्कुल हैवानियत में मिला दिया जाए और हर इन्सान को हैवान बना दिया जाए।

अब दुनिया के अक़्लमन्द इन्साफ़ करें कि वह इलाही क़ानून बेहतर है जो हर तरह और हर क़िस्म की क़द्रों का बचाव करे या वह क़ानून अमल करने वाला है जो इन्सान के सबसे अच्छा होने को मिटाकर जानवर का साथी बना दे। मालूम हुआ कि बस सही रास्ता और हमागीर क़ानून, इन्सान को इन्सान रखने वाला उसूल, सिर्फ़ दीन का उसूल है मज़हब के क़ानून हैं।



इमामे ज़माना अलैहिस्सलाम

प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी साहब क़िब्ला
अनुवादकः बिन्ते ज़हरा नक़वी ''नदल हिन्दी'' साहेबा

इमामे ज़माना[अ०] और महदवियत का अक़ीदा

260[हि०] मुताबिक़ 803[ई०] इमाम हसन असकरी[अ०] की शहादत के बाद ख़ुदा ने बारहवें इमाम हज़रत महदी[अ०] को ग़ैबत के पर्दे में छुपा दिया ताकि नेकी का रास्ता दिखाने वाला ज़ुल्म के अन्धेरे से बचा रहे।

इमाम की ग़ैबत के ज़माने को दो दौर में बांटा जा सकता है। एक ग़ैबते सुग़रा जिसकी मुद्दत 260[हि०] मुताबिक़ 873[ई०] से 329[हि०] मुताबिक़ 940[ई०] तक है और दूसरे ग़ैबत कुबरा जो 329[हि०] मुताबिक़ 940[ई०] से शुरु होती है। ग़ैबत सुग़रा के दौरान इमाम अपने नाएबों के ज़रिये (नवाब अरबा) अपने पैरवी करने वालों से ताल्लुक़ रखते थे मगर इसके बाद से ये ज़ाहिरी ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया और इमाम पूरी तरह ग़ैबत के पर्दे में चले गये एक सही मुद्दत के लिए जिसे ख़ुदा ही तैय करेगा उस वक़्त ख़ुद ही सामने आयेंगे। हमारा अक़ीदा है कि इमाम महदी[अ०] के ज़ाहिर होने के साथ दुनिया में इन्साफ़ और अल्लाह का निज़ाम क़ायम हो जायेगा और इस्लाम की हक़ीक़ी तालीम पूरी तरह नाफ़िज़ हो जायेगी।

मुमकिन है ये सवाल पैदा हो कि क्या किसी की इतनी लम्बी उम्र हो भी सकती है? जवाब ये है कि इमाम ऐसे इन्सान हैं जिन पर ख़ुदा की ख़ास नेमतें और मेहरबानियाँ होती हैं। वह इन्सान भी हैं और ख़ास ताक़त और इख़्तियार के मालिक भी हैं और रूहानी बलन्दी के हिसाब से मानवी दर्जों की आख़िरी मंज़िलों पर हैं, अगर इन मुक़द्दस हस्तियों में से कोई हस्ती आम इन्सानों से अलग ज़माने और जगह की क़ैद से ख़ुदा की ख़ास मेहरबानियों की वजह से आज़ाद हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अगर हम ख़ुदावन्दे आलम की ज़ात, उसकी क़ुदरत और रूहानियत पर अक़ीदा रखते हैं तो हमारे लिये इस हक़ीक़त को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं कि इमामों में से कोई सदियों तक मौत से बच सकता है, क्योंकि ख़ुदावन्दे क़ुद्दूस जो मौत और ज़िन्दगी के क़ानून का बानी है, बिना किसी शक के किसी की ज़िन्दगी को आम हालत से ज़्यादा अपनी चाहत के हिसाब से लम्बा कर देने पर क़ादिर है। किसी मुसलमान के लिए ख़ासकर इस बात में शक या तरदीद की जगह नहीं है क्योंकि क़ुरआन के हिसाब से हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा[अ०] और हज़रत ख़िज़्र[अ०] आज भी ज़िन्दा हैं और हज़रत नूह[अ०] ने सैकड़ों साल की उम्र पायी है।

ग़ैबत में इमाम[अ०] का क्या रोल है?

मुमकिन है सवाल पैदा हो कि इमाम ग़ैबत में कौन सा रोल अदा कर रहे हैं या क्या उनकी इमामत बेकार और बेमक़सद है? ये शक इमामत की हक़ीक़त और इस्लाम के फ़राएज़ से अज्ञानता के कारण है। जैसा कि बार-बार बताया गया है कि इमाम सिर्फ़ सियासी, इज्तेमाई और फ़िक्री रहबरी के फ़राएज़ अन्जाम नहीं देता बल्कि अहम मानवी, बातिनी और रूहानी फ़राएज़ भी अन्जाम देता है। इमाम दुनिया वालों के लिये ख़ुदा की

नेमतों का ज़रिया है जो लोग इन्सानी और मानवी बलन्दियों पर चढ़ते हैं इमाम उन रूहों की रहबरी करता है। इमाम के फ़राएज़ सिर्फ़ इज्तेमाओ और माद्दी ही नहीं हैं बल्कि बातिनी भी हैं। इमाम सिर्फ़ जिस्म ही से नहीं बल्कि रूह से भी ताल्लुक़ रखता है और मोमिनों की रहनुमाई करता है। इमाम के इस अजीब और छुपे हुए अन्दाज़ को अगर सामने रखा जाये तो इसके ज़रिये हम ग़ैबत के ज़माने में इमाम के किरदार को समझ सकते हैं।

क़ुरआन मजीद में भी अन्दुरूनी रहबरी और हिदायत की तरफ़ इशारा मौजूद है और इल्यास[अ०] और ख़िज़्र[अ०] जैसे नबियों की तरफ़ इशारा किया गया है जो ख़ुफ़िया तौर से लोगों को भलाई का रास्ता दिखाते हैं। इमाम आफ़ाक़े बातिन में भी मौजूद होता है।

जैसा कि इससे पहले भी कहा जा चुका है कि इमाम दुनिया वालों के लिए नेमतों और भलाइयों का ज़रिया है। ख़ुदा ने इन्सान को अपनी मख़लूक़ के नमूने के तौर पर पैदा किया है जिसमें कुछ मलकूती ख़ूबियाँ भी पायी जाती हैं। ''अल्लाह ने आदम को अपनी ही सिफ़ात पर पैदा किया है'' लेकिन सिर्फ़ उन इन्सानों में, जो पैग़म्बर और इमाम हैं, अपने पैदा करने की बड़ाई के हर पहलू, हर रुख़ और ख़ूबी को ज़ाहिर करता है। इस तरह इमाम पैदा करने वाले की बड़ाई का नमूना होते हैं। जिस तरह एक तस्वीर बनाने वाला सारे नक़्श अपना नमूना बनाने के लिए खींचता है उसी तरह दुनिया के पैदा करने वाले ने भी ज़मीन और आसमान इन्हीं पाक हस्तियों के लिए पैदा किये हैं जैसा कि हदीसे क़ुद्सी में आया है कि ''ऐ मुहम्मद[स०] अगर तुम न होते तो मैं ये ज़मीन व आसमान न पैदा करता'' ऐसी सूरत में सारे इमाम भी इसी ''हक़ीक़ते मुहम्मदी'' से हैं जैसा कि हदीस में आया है: ''हमारे पहले भी मुहम्मद हैं दरमियानी भी मुहम्मद हैं और आख़िरी भी मुहम्मद हैं'' इस हिसाब से सारे इमाम इस हदीसे क़ुद्सी के मिस्दाक़ है।

इसलिए हर ज़माने और हर दौर में हस्ती के बाक़ी रहने की वजह और ख़ुदा की नेमतों के इन्सानों तक पहुँचने का रास्ता हैं।

इमाम ग़ैबत के पर्दे में वह सूरज हैं जिसके चारो ओर ज़मीन, चाँद और सितारे घूम रहे हैं, जानते-बूझते और अन्जाने में सभी मौजूद इमाम की ज़ात से हिदायत की रौशनी हासिल करते हैं, इसी वजह से इमाम रिज़ा[अ०] की मशहूर हदीस में आया है कि ''इमाम चमकते हुए सूरज की तरह है जो सारे आलम को रौशनी देता है और वह इतना बलन्द है जहाँ न नज़र उसे पा सकती है न हवास उसे छू सकते है''।

ग़ैबत की फ़्लासफ़ी

महदवियत के नज़रिये की बुनियाद क्या है? इस नज़रिये को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम तारीख़ के फ़लसफ़े और हस्ती के बारे में इस्लामी नज़रिये को जानें। तारीख़ की तरक़्क़ी और दुनिया में इन्सानी ज़िन्दगी के आज़माइशी हालत और इन्सान के इन्तेख़ाब और आज़ाद इरादे का मालिक होने के इस्लामी नज़रिये की रौशनी में हम नबियों के भेजे जाने की ज़रूरत, नुबुव्वत के ख़त्म होने का राज़ और बारह इमामों के तैय किये जाने की ज़रूरत और हज़रत महदी[अ०] की ग़ैबत और दोबारा ज़ाहिर होने के फ़लसफ़े को समझ सकते हैं। इस्लामी नज़रिये से ख़ुदा ने इन्सान को ऐसे मौजूद के तौर पर बनाया है जो सबसे अच्छी पैदाइश और 'इरादा', 'अक़्ल', 'ईमान' और इशराक़ यानी इल्हाम का मालिक है। ख़ुदा ने इन्सान को 'इरादे' की आज़ादी और इन्तेख़ाब की ताक़त दी है, जो एक तरफ़ तो ख़ुदा की बड़ी मेहरबानी है मगर दूसरी तरफ़ ऐसी बड़ी ज़िम्मेदारी दी जिसे क़ुबूल करने से पहले, ज़मीन और आसमान ने इन्कार कर दिया था। अगर इरादे की आज़ादी और इन्तेख़ाब की ताक़त न हो तो इन्सान जानवरों और चौपायों से भी नीच हो जाए।

मगर इन्तेख़ाब उस वक़्त काम आता है जब रास्ता साफ़ हो। ख़ुदा ने (जिसकी मेहरबानी उसके वजूद से जुड़ी हुई है) ''नुबुव्वत'' का सिलसिला इसी मक़सद के लिए और इन्सान की भलाई और नजात के रास्ते बनाने के लिए ही क़ायम किया। इन्सान की रूहानी तरक़्क़ी के साथ-साथ एक के बाद एक पैग़म्बर भेजे गये और बहुत सी हक़ीक़तों के चेहरे खोले गये यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद[स०] को भेजे जाने और कुरआन के नाज़िल होने के साथ ही बन्दों तक ''हक़ीक़त'' और ''पैग़ाम'' पूरी तरह पहुँच गये, दीन पूरा हो गया, उसके अरकान और असली निशान तैय हो गये। चूँकि ''पैग़ाम'' पहुँचाने का काम पूरा हो चुका था, इसलिए हज़रत मुहम्मद[स०] के साथ ही नबियों के भेजे जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया, और हज़रत ख़ातमुल अम्बिया की रिसालत की पैरवी हर ज़माने के लिए ज़रूरी हो गयी और इसके बाद से क़यामत तक सारे इन्सानों की ज़िम्मेदारी है कि पैग़म्बरे इस्लाम[स०] की पैरवी करें।

इसके बाद शरह व तफ़सीर और इजरा व निफ़ाज़ का नम्बर आता है कुरआन में ''पैग़ाम'' एक साथ पहुँच गया मगर आम इन्सानों के लिए अल्लाह के कलाम की बारीकियों का समझना मुमकिन न था इसलिए ज़रूरत थी ऐसे ख़ुदाई लोगों की जो एक तरफ़ तो हदीसों से कुरआन के पैग़ाम के नुकतों और बारीकियों की तफ़सीर व तशरीह और पैग़म्बर की सीरत की तफ़सील पेश करें दूसरी तरफ अमली तौर पर सिखायें कि अलग-अलग हालात में इन्सान किस तरह का तरीक़ा अपनाये। इसके अलावा कुरआन के साथ-साथ ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे लोग हो जो इन्सानों के लिए ''हमेशा के नमूने'' और अमली नमूने हों, इसलिए ख़ुदा ने ''इमामत'' का सिलसिला बना दिया।

लेकिन इन्सानों की तरबियत (नुबुव्वते आम्मह) और ख़ुदा का ''पैग़ाम'' पूरे तौर पर पहुँच जाने के बाद (नुबुव्वते ख़ास्सह) जब इलाही मुअल्लिमों और रहबरों ने इसकी तशरीह कर दी (इमामत का मन्सब) तो ख़ुदा की ख़ुदाई का रुख़ इस तरफ़ हुआ कि एक इमाम को ग़ैबत के पर्दे में छुपा दे ताकि पैग़म्बरों और पिछले इमामों की तालीमात की रौशनी में और अपनी अक़्ल की मदद और फ़िक्री ताक़त के ज़रिये अपने इज्तेहाद को सही तौर पर पूरा करें। ग़ैबत के बाद का दौर ''इज्तेहाद'' का दौर है। इन्सानों को चाहिए कि वह अपने इल्म और अपनी अक़्ल का सही इस्तेमाल करें ताकि वह्य और पैग़म्बर और इमामों की हिदायत का रास्ता दिखाने वाली सीरत और रहबरी की रौशनी से अपने मसाएल के हल के सिलसिले में फ़ायदा हासिल करें। आख़िरकार ख़ुदा की क़ुदरत दोबारा इमाम को ग़ैबत के पर्दे से ज़ाहिर करेगी ताकि दुनिया में मिसाली समाज और मिसाली निज़ाम क़ायम हो। इन्सान ग़ैबत के ज़माने में एक इम्तिहान और आज़माइश में है, इसके बाद ख़ुदा दोबारा इमाम को पर्दे से ज़ाहिर करेगा और सही को ग़लत से और हक़ को बातिल से अलग कर देगा।

हम इस हिदायत के पूरे ख़ुदाई इन्तिज़ाम को एक स्कूल की तरह समझ सकते हैं, जैसे पहले कई दर्जों की तालीम पूरी करायी गयी (नबियों के भेजे जाने से) और लिखवाकर (वह्य से) भी रास्ता बताया गया आख़िरी दर्जे में शरीअत को पूरा किया गया (पैग़म्बर[स०] को भेजकर) फिर ग्यारह इमामों ने इस तालीम को अमली तौर पर करके दिखाया (इमामत का दौर) इसके बाद मुअल्लिम को ग़ैबत के पर्दे में छुपा लिया गया और शार्गिदों को छोड़ दिया गया कि अक़्ल व समझ और महारत के बूते पर इम्तिहान दें (ग़ैबत का ज़माना) इसके बाद मुअल्लिम दोबारा ज़ाहिर होंगे और सही जवाब को अमली तौर पर बतायेंगे (ज़हूर) इस मिसाल से हम ग़ैबत के फ़लसफ़े को थोड़ा सा समझ सकते हैं।



मुख्य समाचार

सीरते जनाबे ज़हरा[स०] कान्फ्रेंस में इमाम ख़ुमैनी की बेटी की शिरकत

9-जून 2009[ई०] को भोपाल में क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद साहब की अध्यक्षता में सीरते जनाबे ज़हरा[स०] के उनवान से कान्फ्रेंस मुनअक़िद हुई जिसमें रहबरे इन्क़ेलाबे इस्लामी ईरान आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह ख़ुमैनी[रह०] की बेटी ने मेहमाने ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की।

इस मौक़े पर कान्फ्रेंस अध्यक्ष क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद साहब ने कान्फ्रेंस में आयतुल्लाह ख़ुमैनी[रह०] की बेटी की आमद पर उनका स्वागत किया। इस मौक़े पर अपनी तक़रीर के दरमियान क़ाएदे मिल्लत ने कहा कि 1400 साल पहले जब अरब में लड़कियों को ज़िन्दा दफ़्न कर दिया जाता था उस वक़्त मुरसले आज़म[स०] ने अपनी बेटी की इज़्ज़त बढ़ाकर औरतों का एहतेराम सिखाया। उन्होंने किताब तिरमिज़ी शरीफ़ का हवाला देते हुए कहा कि हुज़ूर जनाब फ़ातिमा ज़हरा[स०] की ताज़ीम के लिए ख़ुद खड़े हो जाते थे।

इस कान्फ्रेंस में ईरानी कल्चर काउन्सलर डाक्टर करीम नजफ़ी साहब ने औरतों के हुक़ूक़ पर तफ़सील से रौशनी डालते हुए ईरान और हिन्दुस्तान दोस्ती का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान और हिन्दुस्तान के ताल्लुक़ात तीन हज़ार साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि पाँच सौ साल पहले दोनों मुल्कों की ज़बान भी एक थी और तहज़ीब भी मिलती जुलती थी इन दोनों मुल्कों ने औरतों के हुक़ूक़ के लिए बड़ी-बड़ी ख़िदमतें की हैं।

अमरीका और बिट्रेन टाँग न अड़ायें: डाक्टर महमूद अहमदी नेजाद

ईरान के राष्ट्रपति डा० महमूद अहमदी नेजाद ने अमरीका और बरतानिया को ख़बरदार करते हुए कहा है कि वह उनके मुल्क के अन्दुरूनी मामलात में टाँग अड़ाना बन्द कर दे। ख़बर देने वाली एजेन्सी इरना के मुताबिक़ डाक्टर अहमदी नेजाद ने मुल्क के उलमा और दानिश्वरों के साथ मुलाक़ात के दौरान कहा कि मैं अमरीका और बिट्रेन को ये मश्वरा दूँगा कि वह दोनों ईरान के ख़िलाफ़ जल्दी में बयान न दें। उन्होंने कहा कि यक़ीनी तौर पर ऐसे बयानों से ये मुल्क ईरान के दोस्त मुल्कों की सूची में स्थान नहीं पा सकेंगे। इसलिए मश्वरा है कि हमारे अन्दुरूनी मामलों में टाँग अड़ाने की पॉलीसी बदल दें।

अज़ीम मजालिस

इन्शाअल्लाह इस साल सफ़वतुल उलमा मौलाना सै० कल्बे आबिद[ताबासराह] के ईसाले सवाब के सिलसिले की सालाना मजलिसें 3-4 अकटूबर 2009[ई०] (बरोज़ सनीचर-इतवार) को इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब में होंगी। मोमिनीन से शिरकत की गुज़ारिश है।

दरगाह हज़रत अब्बास[अ०] में अहम जल्सा

21 जून 2009ई० को दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ में क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में मग़रिबैन की नमाज़ के बाद अली कांग्रेस के पुर्नगठन के लिए एक जल्सा हुआ जल्से में तक़रीर के दौरान क़ाएदे मिल्लत ने हुकूमत से माँग की कि वह हुसैनाबाद ट्रस्ट को ज़िला प्रशासन के चंगुल से आज़ाद करा के शिया क़ौम के हवाले करे।

जल्से में आल इण्डिया अली कांग्रेस के पुर्नगठन के लिए ओहदेदारों का चुनाव भी हुआ। चुने गये ओहदेदारों के नाम निम्नलिखित हैं:-

अध्यक्षः जनाब डाक्टर सै० अमानत हुसैन साहब

जनरल सेक्रेट्रीः सै० तनवीर हुसैन एडवोकेट

उपाध्यक्षः नुसरत हुसैन लाला, मन्सूर आलम, रफ़ीकुल हसन, काज़िम हुसैन और दिलशाद हुसैन साहेबान।

सेक्रेट्रीः नाज़ नक़वी एडवोकेट, सिब्ते हसन, अक़ील शमसी, नेहाल ख़ान और क़मर मेहदी साहेबान।

डिप्टी सेक्रेट्रीः मोजिज़ हुसैन एडवोकेट, अकबर हुसैन, कौसर मिर्ज़ा, शमीम हैदर एडवोकेट और आबिद बाक़र साहेबान।

प्रवक्ताः ज़हीर इक़बाल, शमील शमसी, मौलाना असीफ़ जाएसी और इश्रत रिज़वी साहेबान।

इस मौक़े पर अपनी मुख़्तसर तक़रीर के दरमियान आल इण्डिया अली कांग्रेस के चुने गये अध्यक्ष डाक्टर रज़ा हुसैन नक़वी से सुपुत्र डाक्टर अमानत हुसैन साहब ने क़ाएदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम क़ाएदे मिल्लत के साथ-साथ क़ौम के अक़लमन्द लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे इस लायक़ समझा कि मैं क़ौम की कुछ ख़िदमत कर सकता हूँ। इन्शाअल्लाह मैं क़ाएदे मिल्लत की सरपरस्ती में अज़ादारी की बक़ा और क़ौम की तरक़्क़ी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहूँगा। दूसरे दिन शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मोबाइल और टेलीफ़ोन के ज़रिये अली कांग्रेस के चुने गये अध्यक्ष डाक्टर अमानत हुसैन और सेक्रेट्री तनवीर हुसैन साहब को मुबारकबाद दी।

अहमदी नेजाद की भारी बहुमत से जीत ईरानी अवाम की हक़ीक़ी कामयाबीः आयतुल्लाह सै० अली ख़ामेना-ई

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सै० अली ख़ामेना-ई ने डा० महमूद अहमदी नेजाद के दोबारा चुने जाने का स्वागत करते हुए उनकी भारी बहुमत से जीत को ईरानी अवाम की हक़ीक़ी कामयाबी क़रार दिया है। ईरान के रूहानी पेश्वा की जानिब से चुनावी नतीजों के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनावों में 80 प्रतिशत वोट देने वालों की शिरकत और राष्ट्रपति को चुनने के लिए 24 मिलियन वोट ही असल कामयाबी है जो मुल्क की तरक़्क़ी, क़ौम की सलामती और ख़ुशहाली की ज़मानत है। टेलीवीज़न पर पैग़ाम में ईरान के रूहानी पेश्वा आयतुल्लाहिल उज़्मा सै० अली ख़ामेना-ई ने डाक्टर अहमदी नेजाद की कामयाबी पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस कामयाबी के मौक़े पर मैं सभी ईरानी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तआला की तरफ़ से दी गयी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें।

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब में यौमे इमाम ख़ुमैनी[रह०]

आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह ख़ुमैनी[रह०] की बीसवीं बरसी के मौक़े पर 5 जून 2009ई० जुमा को इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब में यौमे इमाम ख़ुमैनी[रह०] मनाया गया। इस सिलसिले में बराए तरवीहे रूह इमाम ख़ुमैनी[रह०] एक मजलिसे अज़ा हुई जिसे मुफ़क्किरे इस्लाम डाक्टर मौलाना सै० कल्बे सादिक़ साहब क़िब्ला ने ख़िताब फ़रमाया। मुफ़क्किरे इस्लाम ने तक़रीर के दौरान इमाम ख़ुमैनी[रह०] की मुजाहिदाना ज़िन्दगी के पहलुओं का तज़किरा फ़रमाया। आख़िर में इमाम ख़ुमैनी[रह०] की तरवीहे रूह के लिए फ़ातेहाख़्वानी की गयी।

Permanent Namaz Timing As Per Lucknow Horizon

Month August 2009

अगस्त	शाबान	दिन	फ़ज्र	तुलूअ	ज़ोहर	गुरूब	मग़रिब	लखनऊ से पहले		लखनऊ के बाद	
1	9	सनीचर	4:05	5:30	12:13	6:55	7:05	इलाहाबाद	5	जालन्धर	32
2	10	इतवार	4:05	5:30	12:13	6:55	7:05	आज़मगढ़	9	आगरा	13
3	11	पीर	4:06	5:30	12:13	6:54	7:04	अयोध्या	5	इन्दौर	21
4	12	मंगल	4:07	5:30	12:13	6:54	7:04	बाराबंकी	2	उन्नाव	2
5	13	बुध	4:08	5:31	12:13	6:53	7:03	बस्ती	8	बदायूं	8
6	14	जुमेरात	4:09	5:31	12:13	6:52	7:02	बनारस	8	बरेली	6
7	15	जुमा	4:10	5:32	12:12	6:51	7:01	बलिया	12	मुम्बई	33
8	16	सनीचर	4:11	5:33	12:12	6:50	7:00	बहराइच	4	बैंगलौर	17
9	17	इतवार	4:12	5:34	12:12	6:49	6:59	बांदा	6	भोपाल	14
10	18	पीर	4:13	5:35	12:12	6:48	6:58	अकबरपुर	6	पीलीभीत	5
11	19	मंगल	4:13	5:35	12:11	6:47	6:57	पटना	18	झांसी	10
12	20	बुध	4:14	5:35	12:11	6:46	6:56	प्रतापगढ़	5	फ़िरोज़ाबाद	10
13	21	जुमेरात	4:15	5:36	12:11	6:45	6:55	पूर्णिया	27	दिल्ली	15
14	22	जुमा	4:15	5:37	12:11	6:45	6:55	जौनपुर	8	[illegible]	12
15	23	सनीचर	4:16	5:37	12:11	6:44	6:54	दरभंगा	20	रामपुर	8
16	24	इतवार	4:16	5:37	12:10	6:44	6:54	रांची	18	श्रीनगर	21
17	25	पीर	4:17	5:38	12:10	6:43	6:53	कटक	16	सहारनपुर	14
18	26	मंगल	4:18	5:38	12:10	6:42	6:52	रायबरेली	4	सीतापुर	4
19	27	बुध	4:18	5:38	12:10	6:41	6:51	सीवान	14	शाहजहाँपुर	4
20	28	जुमेरात	4:19	5:39	12:10	6:40	6:50	24 परगना	30	अलीगढ़	12
21	29	जुमा	4:20	5:39	12:09	6:39	6:49	ग़ाज़ीपुर	11	फ़तेहपुर	3
22	30	सनीचर	4:20	5:40	12:09	6:38	6:48	फ़ैज़ाबाद	5	कानपुर	3
23	1 रमज़ान	इतवार	4:21	5:40	12:09	6:37	6:47	कोलकाता	31	ग्वालियर	12
24	2	पीर	4:22	5:41	12:09	6:35	6:45	खीरी	1	[illegible]	3
25	3	मंगल	4:23	5:42	12:09	6:34	6:44	गोण्डा	4	मुरादाबाद	9
26	4	बुध	4:23	5:42	12:08	6:33	6:43	गोरखपुर	10	मेरठ	13
27	5	जुमेरात	4:24	5:42	12:08	6:32	6:42	मऊ	11	मुज़फ़्फ़रनगर	12
28	6	जुमा	4:24	5:43	12:08	6:31	6:41	मुंगेर	12	नागपुर	16
29	7	सनीचर	4:25	5:44	12:08	6:30	6:40	मिर्ज़ापुर	7	नैनीताल	6
30	8	इतवार	4:25	5:44	12:08	6:29	6:39	मुज़फ़्फ़रपुर	19	हरदोई	4
31	9	पीर	4:26	5:45	12:08	6:28	6:38	भागलपुर	19	भावनगर	36